रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1966] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934
No. 1966] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2012

का.आ. 2348(अ).—जबकि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप धारा (8) के साथ पठित, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, पुनरीक्षा अथवा अपील न्यायालयों में उन मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री मन्दार महेश गोस्वामी, अधिवक्ता की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को गृह मंत्रालय की दिनांक 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1969 (अ) में अधिसूचित किया था।

और जबकि, श्री मन्दार महेश गोस्वामी को ए सी बी, सी बी आई, मुम्बई द्वारा आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था और वे पी सी अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक मामले में अभियुक्त बन गए हैं।

अतः, अब, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री मन्दार महेश गोस्वामी, अधिवक्ता, जिनको महाराष्ट्र राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए

गए मामलों, पुनरीक्षा अथवा अपील न्यायालयों में उन मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया है, की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना को, एतद्द्वारा, निरस्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस. VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2012

S.O. 2348(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) had notified the appointment of Shri Mandaar Mahesh Goswami, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Maharashtra in the Ministry of Home Affairs notification number S. O. 1969 (E) dated 25th August, 2011.

And whereas, Shri Mandaar Mahesh Goswami was arrested in Adarsh Housing Society Scam case by ACB, CBI, Mumbai and has become an accused in a case under PC Act and IPC.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby de-notify the appointment of Shri Mandaar Mahesh Goswami, Advocate as Special Public Prosecutor who has been appointed for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the state of Maharashtra.

[F. No. 11034/30/2009-IS. VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.